उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-55/2019/664/92-2-2019-198(जांच)/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 15 मार्च 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम कुराली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 12.06.2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति, जी0एस0बी0 में बैलास्ट की मात्रा कम पाये जाने एवं शिथिल नियन्त्रण आदि के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132/2017/ 1290/92-2-2017-198(जांच)/2015 दिनांक 26-07-2017 द्वारा श्री एस0पी0 गौड. सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य श्री एस0पी0 गौड जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है, के दृष्टिगत उनके विरूद्ध नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक जांच को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-175/2017/1808/92-2-17-198जांच/2015 दिनांक 03-10-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र दि0 31-01-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की आख्या दिनांक 07-08-2018 एवं निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की आख्या दिनांक 29-01-2019 व अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त श्री एस0पी0 गौड, तत्का0 सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-07-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे कार्यालय ज्ञाप दि0 03-10-2017 द्वारा सीएस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया, बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-55/2019/664(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- श्री एस0पी0 गौड. सहायक अभियन्ता, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in